(25)
A 354

छत्तीसगढ़ शासन
वन विभाग
''मंत्रालय''
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमाक/1.1.1.../1766/2013/10-3/वन, नया रायपुर, दिनांक/25/09/2013

प्रति,

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
छत्तीसगढ़ रायपुर ।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(वन्यप्राणी)
छत्तीसगढ़ रायपर ।
3. प्रबंध संचालक,
छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम,
रायपुर ।
4. प्रबंध संचालक,
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ,
रायपुर ।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
छत्तीसगढ़ राज्य वनौषधि बोर्ड,
रायपुर ।

APCCF(A.C./Co-ord.)
P.C.C.F

विषय :- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु कृत कार्यवाही का प्रतिवेदन ।

---0---

विषयांतर्गत प्रकरण में छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक/6-4/06/मबावि/50 रायपुर, दिनांक 17.09.2013 की छायाप्रति सहपत्रों सहित आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही एवं की गई कार्यवाही के प्रतिवेदन से विभाग को अवगत कराने हेतु संलग्न प्रेषित है ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

अ.प्र.मु.व.सं.(प्रशा./राज.)

(सुरेन्द्र सिंह बाघे)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग

(26)

आवक क्रमांक 1766
2013/10-3/उन
दिनांक 20/09/201

छत्तीसगढ़ शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर

पत्र क्र./6–4/06/मबावि/50 रायपुर, दिनांक 17.09.2013

प्रति,

प्रति,
अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
......वन विभाग.... विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

विषयः– कार्यस्थल पर यौनउत्पीड़न की रोकथाम हेतु कृत कार्यवाही का'प्रतिवेदन।

संदर्भः– माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 173–177 में परित निर्णय दिनांक 19 अक्टूबर 2012 एवं इस कार्यालय का पत्र क्रमांक एफ 6–4/06/मबावि/50 दिनांक 02.07.2013 ।

=०=

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करना चाहेंगे, जिसके अनुसार कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय, याचिका कमांक WP (CRIMINAL) NOS 173-177 OF 1999 पर पारित आदेश एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त से अवगत कराया गया था ।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु केन्द्र शासन द्वारा नया अधिनियम पारित किया गया है, जो प्रभावशील होना है । कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध एवं निवारण) अधिनियम 2013 के भाग–1 धारा–2 में परिभाषाएं दी गई है जिसमें पीड़ित महिला, नियोक्ता, कार्यस्थल एवं यौन उत्पीड़न को परिभाषित किया गया है ।

अधिनियम की धारा–4 (1) के अनुसार:–

4 (1) Every employer of a workplace shall, by an order in writing, consitute a Committee to be known as the "Internal Complaints Committee".

Provided that where the offices or administrative units of the workplace are located at different places or divisional or sub-divisional level, the Internal Committee shall be constituted at all administrative units or offices.

(2) The Internal Committee shall consist of the following members to be nominated by the employer, namely:-

(a) a Presiding Officer who shall be a woman employed at a senior level at workplace from amongst the empolyees:

Provided that in case a senior level woman employee in not availabe, the Presiding Officer shall be nominated from other offices or administrative units of the workplace referred in sub-section (1):

Provided further that in case of other officesor administrative units of the workplace do not have a senior level women employee, the presiding officer shall be nominated from any other workplace of the employer or other department or organisation;

(b) not less than two Members from amongst employees preferably committed to the cause of woman or who have had experience in social work or have legel knowlege;

(c) one member from amongst non-government organisation or associations committed to the cause of women or a person familiar with the issues relating to sexual haresment:

Providing that at less one-half of the total Members so nominated shall be woman.

(3) The Presiding Officer and every Member of the Internal Committee shall hold office for such period, not exceeding three years, from the date of their nomination as any may be specified by the employer.

(4) The Member appointed from amongst the non-government organisation or associations shall be paid such fees or allowances for holding the proceeding of the Internal Committee, by the employer, as may be prescribed.

1 9 SEP 2013

आवक क्रमांक 529
सचिव/वन/200
दिनांक 18.09.13 200

उपरोक्तानुसार

1. शिकायत समितियों का पुनर्गठन किया जाना होगा तथा स्वैच्छिक संगठन से एक सदस्य को अनिवार्य रूप से नामांकित किया जाना होगा ।
2. समिति का कार्यकाल तीन वर्ष निर्धारित रहेगा ।
3. यह समिति सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय/वाणिज्यिक कार्यालय व उद्योगों व सभी चिन्हांकित कार्यस्थलों में गठित किया जाना अनिवार्य होगा । सभी विभाग अपने नियंत्रण में आने वाले कार्यालयों/संस्थाओं/वाणिज्यिक निकायों/उद्योगों को सूचित करते हुए आंतरिक शिकायत समिति का गठन सुनिश्चित करेंगे । जहां महिला कर्मचारी कार्यरत न हो अथवा 1–2 की संख्या में महिला कर्मचारी हो, वहां समिति गठन के संबंध में प्रशासकीय विभाग/नियोक्ता समुचित निर्णय करते हुए आंतरिक शिकायत समिति की उपयुक्त व्यवस्था करेंगे ।
4. अधिनियम में आंतरिक शिकायत समिति को सुनवाई व आदेश हेतु अधिकार प्रत्योजित किये गये हैं । अधिनियम में समिति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रकिया का विवरण अधिनियम में उल्लेखित है । कृपया संलग्न अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों व प्रकियाओं को ध्यान में समिति पुनर्गठित करते हुए अवगत कराने का कष्ट करेंगे ।
5. अधिनियम की धारा 26 के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति गठित न किये जाने पर नियोक्ता को 50 हजार रूपये के जुर्माने का प्रावधान है ।

कृपया अधिनियम के प्रावधानों के प्रकाश में प्रारंभिक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही का प्रतिवेदन प्रेषित करने का कष्ट करेंगे ।

संलग्नः-- उपरोक्तानुसार ।

(सुब्रत साहू)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

पृ. पत्र क./6–4/06/मबावि/50 रायपुर, दिनांक 17.09.2013

प्रतिलिपिः–

1. स्टॉफ आफिसर, मान. मुख्य सचिव, कार्यालय की ओर सूचनार्थ ।
2. समस्त– विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ ।
3. संभागायुक्त रायपुर/सरगुजा/बस्तर/बिलासपुर ।
4. संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
5. कलेक्टर – समस्त, छत्तीसगढ़ ।
6. जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी समस्त–छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ । कृपया सभी विभागों से समन्वय कर शिकायत समितियों का गठन सुनिश्चित करें एवं प्रतिवेदन संकलित कर संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रेषित करें ।

सचिव
महिला एवं बाल विकास विभाग
रायपुर, छत्तीसगढ़